ग्राम पंचायत जियुंता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जियुंता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत जियुंता में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति सपना देवी	01-04-2022 से 31-03-2024 तक

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री सुरिन्दर सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत जियुंता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	8	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W/ X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.10
02.	8.1	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	0.12
03.	9	सभा निधि से राशि का दुर्विनियोजन	0.15
04.	9.1	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	2.50
05.	9.2	15वें वित्तायोग से इनवर्टर व टीवी इत्यादि के क्रय पर अनियमित व्यय बारे।	0.74
06.	9.4	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	10.41
07.	9.5	संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिलों का अनियमित भुगतान करने बारे।	11.20

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत जियुंता का अंकेक्षण अवधि 04/2014 से 03/2017 के लिये किया गया था। जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 24-10-2024 द्वारा सचिव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, गत अंकेक्षण पैरों पर आवश्यक कार्रवाई उपरान्त विभाग को सूचित कर दिया जायेगा। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी

सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.2	अनिर्णीत	-
4.	5	अनिर्णीत	-
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7	अनिर्णीत	-
7.	8	अनिर्णीत	-
8.	9	अनिर्णीत	-
9.	9.1	अनिर्णीत	-
10.	10	अनिर्णीत	-
11.	11	अनिर्णीत	-
12.	12	अनिर्णीत	-
13.	13 (क,ख,ग)	अनिर्णीत	-
14.	14	अनिर्णीत	-
15.	15	अनिर्णीत	-
16.	16	अनिर्णीत	-
17.	17	अनिर्णीत	-
18.	18	अनिर्णीत	-
19.	19	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
20.	20.	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत जियुंता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24-10-2024 से 06-11-2024 तक ग्राम पंचायत जियुंता के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	04/2022	05/2022
2.	2023-2024	05/2023	03/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत जियुंता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/11 दिनांक 06-11-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत जियुंता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदानः- ग्राम पंचायत जियुंता के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्त्रोत & VKVNY

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**406644.22**	**2079396.00**	**2486040.22**	**2075184.00**	**410856.22**
2023-24	**410856.22**	**1026366.00**	**1437222.22**	**1077012.00**	**360210.22**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
20222023	**1850950.00**	**9252651.00**	**11103601.00**	**9277734.00**	**1825867.00**
20232024	**1825867.00**	**5623802.00**	**7449669.00**	**6758427.00**	**691242.00**

कुल योग (1+2) **₹360210.22 + ₹691242.00 = ₹1051452.22**

(ब) ग्राम पचांयत जियुंता, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15TH FC	50100356416991	HDFC Dalhousie	**541452.30**
2.	SBM	17610112415	HPSCB Banikhet	**0.00**
3.	5th SFC	17610108101	HPSCB Banikhet	**78825.00**
4.	Own Source	17610105014	HPSCB Banikhet	**3186.22**
5.	VKVNY/5thSFC	17610106434	HPSCB Banikhet	**529245.00**
			Cash In hand	**0.00**
			TOTAL	**₹1152708.52**

अन्तर (ब-अ) ₹1152708.52 - ₹1051452.22 ₹101256.30

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.01 लाख का अन्तर ।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत जियुंता, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹101256.30 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹6.91 लाख का अवरोधन ।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹691242 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम

अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹3.62 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत जियुंता के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹361800 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	272300	890	50	44500	316800	0	316800
2023-24	316800	900	50	45000	361800	0	361800

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 06-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना :-

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹5625/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली न करना :-

पंचायत अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली नहीं की गई तथा कुछ मामलों में कम या विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जिस कारण सरकार को विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर राशि ₹2300 की वित्तीय हानि जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है सम्बंधित सचिव की लापरवाही के कारण हुई है।

(ग) विवाह पंजीकरण रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे:

अंकेक्षण दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, विवाह रजिस्टर पर अत्यधिक कटिंग, ओवरराइटिंग, पेजिंग न करना तथा रजिस्टर में विहित कोलमों को न भरना एवं इसे पंचायत सचिव (सब-रजिस्ट्रार) द्वारा सत्यापित न किया जाना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इससे अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 06-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है तथा

विलम्ब शुल्क के वसूली नहीं गई राशि की प्रतिपूर्ति करके इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹7925 (5625+2300) की वसूली उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹8.10 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियमों एवं निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या--2023/204192/1-eneral/2023G-DB-(RD&PR)-XEN 30-34307 दिनांक 20-11-2023 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेशों CWP No. 868 of 2023 के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत जियुंता के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही राशि ₹809664 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि का क्रय किया तथा उक्त राशि का अनियमित भुगतान सम्बन्धित वेंडरों को किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान W/X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री का भुगतान बिना W,X फॉर्म प्राप्त किया बिना ही किया जा रहा

है। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.1 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.12 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत जियुंता के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹617295/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹12345/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत

सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.2 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹59.50 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "8"** राशि ₹5950000 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी सहायक के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये ओर न ही वे स्वयं उपस्थित हुए। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 पंचायत की सभा निधि से राशि ₹0.15 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमवाली 2002 के नियम **17(2)** के अनुसार एवं प्रधान सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin.(C)A(3)-5/2004 के अनुसार राशि **₹**10000 के ऊपर के समस्त भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किये जाने अपेक्षित हैं एवं नियम 47 व 48 के अनुसार सभी दावों को सही

विशिष्टियां वाले वाउचर द्वारा समर्थित व बिल रजिस्टर में प्रविष्टि तथा नियम 49 के अनुसार किसी भी भुगतान से पूर्व प्रधान व सचिव द्वारा अदायगी आदेश उपरान्त संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत जियुंता के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा सामान्य/सभा निधि (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 57) वाउचर संख्या 107 दिनांक 20-02-2024 द्वारा श्री बाबू राम को सादे कागज पर रेत, बजरी की आपूर्ति के बाबत राशि **₹**15000 का भुगतान दर्शाया गया था जबकि बैंक विवरणानुसार उक्त राशि का भुगतान श्रीमती सपना देवी को बिरयर चैक संख्या 249040 दिनांक 29-02-2024 को किया गया जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 29-10-2024 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, इस सम्बन्ध में पंचायत स्तर पर अंकेक्षण विभाग को सूचित कर दिया जायेगा। चूँकि नियमानुसार कोई भी भुगतान आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। लेकिन उक्त प्रकरण में आपूर्तिकर्ता को भुगतान न करके किसी अन्य को बिरयर चैक के माध्यम से किया जाना तथा बिल में दर्शाई सामग्री का स्टॉक में इन्द्राज न पाया जाना संदिग्ध व अनुचित है।

अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण ठोस तथ्यों के आधार पर उक्त व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उक्त राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाये तथा कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.1 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹2.50 लाख का अधिक अनियमित व्यय करने बारे।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात

अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹249569 (3.49%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्र०सं०	**वित्तीय वर्ष**	**कुल व्यय (₹ लाखों में)**	**मजदूरी पर व्यय (₹ लाखों में)**	**मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता**	**सामान पर व्यय (₹ लाखों में)**	**सामान पर व्यय प्रतिशतता**
1.	23-2022	71.51	30.26	46.51%	38.25	53.49%
	सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**₹249569**	**+3.49%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा कि, मनरेगा के अंतर्गत करवाये गए कार्यों में सामग्री का अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री पर अधिक व्यय किया गया अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.74 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10)1/2018-15th FC-75344-439 दिनांक 02 सितम्बर 2021 के अंतर्गत 15वें वित्तायोग के तहत अनटाईड ग्रांट के अंतर्गत निहित परिशिष्ट । व ॥ में उक्त अनुदान के अंतर्गत स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में ही व्यय किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग से निम्नविवरणानुसार राशि ₹73600 का Smart TV व

इनवर्टर इत्यादि के क्रय पर किया गया जोकि उक्त नियम/आदेश के तहत जारी स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में निहित न होने के कारण प्रतिकूल प्रतीत होता है।

Sr.No.	Vr.No./Date	Detail of Supplier	Material	Amount
1.	01/06-05-2022	M/S Hind Info Tech. Banikhet , Chamba	Luminous Invertor & Smart LED TV	73600
			TOTAL	**73600**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, उक्त अनुदान से व्यय राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त मदों पर किये गये व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाये अन्यथा अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत राशि ₹2500 का अधिक भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत जियुंता के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत निम्नविवरणानुसार राशि ₹2500 का अधिक भुगतान किया गया।

1.बिल/ दिनांक	2.आपूर्तिकर्ता विवरण	3. सामग्री	4.बिल अनुसार व पारित राशि	4.वास्तविक भुगतान	5.अधिक भुगतान
15/ 18-03-2024	मै० परवीन कुमार	100ft बजरी @25	2500	5000	2500

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 29-10-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उक्त तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। अत: उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित

खाते में शीघ्र जमा करवा दी जाये एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹10.41 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

ग्राम पंचायत जियुंता के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹1041115 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल सादे कागज, केश मीमो एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर सादे कागज, केश मीमो व परफोर्मा बिलों पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹11.20 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "6")** राशि ₹1120429/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.6 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे।

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹4135179.56 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि मनरेगा की रोकड़ बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत

नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.7 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 29-10-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जियुंता के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व:-स्त्रोतों की रोकड़ बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन

नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-08 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत जियुंता के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-10-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है।

इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र० सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	अपूर्ण
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	अपूर्ण
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जियुंता की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 29-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 16.12.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

6252-6258 का0/प्रति0 26 DEC 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 17/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जियुंता विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Jiyunta for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source & VKVNY

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	406644.22	2079396.00	2486040.22	2075184.00	410856.22
2023-24	410856.22	1026366.00	1437222.22	1077012.00	360210.22

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1850950.00	9252651.00	11103601.00	9277734.00	1825867.00
2023-24	1825867.00	5623802.00	7449669.00	6758427.00	691242.00
					1051452.22

It is certified that GP Jiyunta has four cash books out of which 15th FC Online, General (SF,5thSFC, VKVNY), SBM Offline cash books was produced and MGREGA cash book was not produced during audit

1+2 (345370.22+691242.00) Closing Balance as per Cash Books 1051452.22

Closing Balance as per Bank Passbook 1152708.52

Difference (Less in Cash books) -101256.30

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

Panchayat Pradhan
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P)

22

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4.1 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Jiyunta for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	7138555.00	7138555.00	7138555.00	0.00
		2023-24	0.00	5066206.00	5066206.00	5066206.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	1821306.00	1809025.00	3630331.00	1877257.00	1753074.00
		2023-24	1753074.00	206677.00	1959751.00	1354516.00	605235.00
3	5th SFC	2022-23	24989.00	304834.00	329823.00	257030.00	72793.00
		2023-24	72793.00	350919.00	423712.00	337705.00	86007.00
4	SBM	2022-23	4655.00	237.00	4892.00	4892.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1850950.00	9252651.00	11103601.00	9277734.00	1825867.00
			1825867.00	5623802.00	7449669.00	6758427.00	691242.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

Panchayat Pradhan
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

23

21

परिशिष्ट "उ" पैरा संख्या 7.1.7.2 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत जियुंता, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि०प्र०)

1. सम्पत्ति कर (गृहकर)

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुलपरिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल वसूल राशी	वकाया राशी
2022-23	272300	890	50	44500	316800	0	316800
2023-24	316800	900	50	45000	361800	0	361800

2.(क) विवाह पंजीकरण फीस 31-03-2024 वसूली गई परन्तु सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-2023	24	14@200	-	2800	10@25	-	250	3050
2023-2024	26	11@200	-	2200	15@25	-	375	2575
कुल योग	**50**	**25@200**	-	**5000**	**25@25**	-	**625**	**5625**

नोट : पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली गई है परन्तु इसे पंचायत के निधि खाते में ही रखा गया है जबकि नियमानुसार इसे सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

2.(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने की कारण हुई वित्तीय हानि

S	Regd Sr.no	Name & Sr.No as per Register	Date of Marriage	Date of Registration	Fees should be realised	Fees Charged	Less relisation
1.	44	Sh.Vishal Kumar	21-06-2022	22-07-2022	50	25	25
2	45	Sh.Atul Kumar	20-06-2022	22-07-2022	400	200	200
3.	46	Sh.Virender Kumar	20-05-2022	22-07-2022	50	25	25
4.	50	Sh. Mukesh Kumar	22-06-2022	07-09-2022	400	200	200
5.	51	Sh. Vinkal Kumar	11-08-2022	12-09-2022	50	25	25
6.	52	Sh. Ajay Kumar	08-07-2022	13-09-2022	400	200	200
7.	54	Sh. Nitin Kumar	26-09-2022	12-12-2022	400	200	200
8.	04	Sh. Om Prakash	09-03-2023	28-05-2023	400	200	200
9.	12	Sh. Pradeep Singh	07-06-2023	22-07-2023	400	200	200

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

24

परिशिष्ट "उ" पैरा संख्या 7-2 में सन्दर्भित

10.	18	Sh. Kushal Kumar	22-09-2023	11-12-2023	400	200	200
11.	19	Sh. Jagdish Kumar	09-11-2023	14-12-2023	400	200	200
12.	20	Sh. Ankaj Kumar	26-10-2023	14-12-2023	400	200	200
13.	22	Sh. Vinkal Kumar	18-10-2023	20-12-2023	50	25	25
14.	23	Sh.Mohit Kumar	07-11-2023	20-12-2023	400	200	200
15.	25	Sh. Piyush Thakur	28-11-2023	10-01-2024	400	200	200
				TOTAL	**4600**	**2300**	**2300**

2.(ग) विवाह पंजीकरण रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

अंकेक्षण दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, रजिस्टर पर अत्यधिक कटिंग,ओवरराइटिंग की गई थी एवं इसे पंचायत सचिव (सब-रजिस्ट्रार) द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था तथा रजिस्टर में विहित कोलमों को न भरना, रजिस्टर में पेजिंग न करना जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इससे अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी अत इस बारे अपना पक्ष : I प्रस्तुत करें

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

Panchayat Pradhan
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

25

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP JIYUNTA TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S S.K. Bhardwaj & Sons	15th FC	08-12/	Sand	25.34	40.54	40275.00
	VPO Chuwari, Chamba		10-05-2022	Aggre.	31.94	61.96	45120.00
2	M/S S.K. Bhardwaj & Sons	15th FC	13 & 14/	Sand	9.34	14.94	14850.00
	VPO Chuwari, Chamba		11-05-2022	Aggre.	3.54	6.87	5000.00
3	M/S R.K. Traders	15th FC	128/	Sand	8.49	13.58	17700.00
	VPO Dhundiyara, Chamba		06-02-2024	Aggre.	11.32	21.96	21600.00
4	M/S Pankaj Thakur	MGREGA	Nil/	Sand	40.78	65.25	69120.00
	PO Bailli, Chamba		23-05-2022	Aggre.	42.48	82.41	64500.00
5	M/S Pankaj Thakur	MGREGA	Nil/	Sand	24.91	39.86	42240.00
	PO Bailli, Chamba.		23-05-2022	Aggre.	10.47	20.31	15910.00
6	M/S Pankaj Thakur	MGREGA	Nil/	Sand	65.13	104.21	110400.00
	PO Bailli, Chamba		23-05-2022	Aggre.	65.13	126.35	98900.00
7	M/S Parveen Kumar	MGREGA	Nil/	Stone	8.16	18.28	24500.00
	PO Bharari, Chamba		23-05-2022				
8	M/S R.K. Traders	MGREGA	Nil/	Sand	30.86	49.38	61247.27
	VPO Dhundiyara, Chamba		18-03-2024	Aggre.	54.94	106.58	100073.14
9	M/S R.K. Traders	MGREGA	Nil/	Sand	18.68	29.89	37085.46
	VPO Dhundiyara, Chamba		18-03-2024	Aggre.	22.65	43.94	41142.86
				TOTAL	**474.16**	**846.32**	**809663.73**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

Gram Rozgar Sewak
Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

26

Annexure "5" Refferred in Para number 8.[illegible]

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Jiyunta, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Materail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	11 / 12-05-2022	VKVNY	M/S S.K. Bhardwaj & Sons , Chuwari ,Chamba	Hiring Charges of JCB	99000.00	1980.00	IT Act 1961 Section 194 C
2	12/ 12-05-2022	VKVNY	M/S Sonu Timber House, VPO Balera, Chamba	Shuttring on rent	36000.00	720.00	do
3	15 / 27-05-2022	VKVNY	M/S S.K. Bhardwaj & Sons , Chuwari ,Chamba	Hiring Charges of JCB	99000.00	1980.00	do
4	Nil/ 23-05-2022	MGREGA	M/S Sham Lal Verma Dhalousie, Chamba	Carrige of Cement, Sand & Agg.	52375.00	1047.50	do
5	Nil/ 23-05-2022	MGREGA	M/S Pankaj Thakur PO Bailli. Chamba	Shuttring on rent	68250.00	1365.00	do
6	Nil/ 23-05-2022	MGREGA	M/S Pankaj Thakur PO Bailli. Chamba	Concrete mixure Carrige	40000.00	800.00	
7	Nil/ 01-03-2024	MGREGA	M/S Parveen Kumar, PO Bhararai, Chamba	Carrige of Cement, Sand & Agg.	109670.00	2193.40	do
8	Nil/ 01-03-2024	MGREGA	M/S Surjeet Singh PO Balera, Chamba	Carrige of Cement, Sand & Agg.	73000.00	1460.00	
9	Nil/ 01-03-2024	MGREGA	M/S S.K. Bhardwaj & Sons , Chuwari ,Chamba	Concrete mixure Carrige	40000.00	800.00	
				TOTAL	617295.00	12345.90	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

Gram Rozgar Sewak
Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

97

Reffered in Audit Para no. 9.5

Annexure "6" Payment made without Joint Sign. In R/O GP Jiyunta

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S S.K. Bhardwaj & Sons	VKVNY	11/	JCB 82.5hr@1200	99000.00
	VPO Chuwari, Chamba		12-05-2022		
2	M/S Pankaj Thakur	VKVNY	09/	JCB 23 hr@1100	25300.00
	PO Bailli, Chamba		12-05-2022		
3	M/S S.K. Bhardwaj & Sons	VKVNY	15/	JCB 82.5hr@1200	99000.00
	VPO Chuwari, Chamba		27-05-2022		
4	M/S Mast Ram	SF	13/	Refreshment	10250.00
	VPO Tritha, Chamba		12-05-2022		
5	M/S Mast Ram	SF	109/	Refreshment	12000.00
	VPO Tritha, Chamba		22-03-2024		
6	M/S Hind Infotech,	15th FC	01/	Invertor	48600.00
	VPO Banikhet, Chamba		06-05-2022	Smart LED TV	25000.00
7	Sh. Manjeet Kumar	15th FC	135/	Carrige of Sand	6000.00
	VPO Dhundiyara,Chamba		20-03-2024	& Aggre.	8000.00
8	M/S Sham Lal Verma	MGREGA	Nil	Carrige of Sand	
	Dhalousie, Chamba		23-05-2022	Cement & Agg.	52375.00
9	M/S Pankaj Thakur	MGREGA	Nil/	Sand	69120.00
	PO Bailli, Chamba		23-05-2022	Aggre.	64500.00
10	M/S Tanishka Tile Industry	MGREGA	Nil	Interlock Tiles	
	Tehsil Nurpur, Kangra		23-05-2022	60mm14850no	311850.00
11	M/S Parveen Kumar	MGREGA	Nil/	Carrige of Sand	
	PO Bharari, Chamba		23-05-2022	Cement, Agg. Etc.	109670.00
12	M/S Surjeet Singh	MGREGA	NIL	Carrige of Sand	
	PO Balera, Chamba		01-03-2024	Cement, Agg. Etc.	73000.00
				Shuttring	30000.00
13	M/S Mahajan Cons. Co	MGREGA	NIL	Paver 120sqm	
	VPO Chuwari, Chamba				76764.00
				TOTAL	**1120429.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

Gram Rojgar Sevak
Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

28

Reffered in Audit Para 9.(?)

Annexure "7" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Jiyunta Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S S.K. Bhardwaj & Sons	VKVNY	11/	JCB 82.5hr@1200	99000.00	**Performa Bill**
	VPO Chuwari, Chamba		12-05-2022			**Do**
2	M/S Mast Ram	VKVNY	13/	Refreshment	10250.00	**Cash Memo**
	VPO Tritha, Chamba		12-05-2022			**do**
3	M/S S.K. Bhardwaj & Sons	VKVNY	15/	JCB 82.5hr@1200	99000.00	**Performa Bill**
	VPO Chuwari, Chamba		27-05-2022			**do**
4	M/S Mast Ram	VKVNY	13/	Refreshment	10250.00	**Performa Bill**
	VPO Tritha, Chamba		12-05-2022			**do**
5	M/S Hind Infotech,	15th FC	01/	Invertor	48600.00	**do**
	VPO Banikhet, Chamba		06-05-2022	Smart LED TV	25000.00	**do**
6	Sh. Manjeet Kumar	15th FC	135/	Carrige of Sand	6000.00	**Plain Paper**
	VPO Dhundiyara,Chamba		20-03-2024	& Aggre.	8000.00	**do**
7	M/S Sham Lal Verma	MGREGA	Nil	Carrige of Sand		**Performa Bill**
	Dhalousie, Chamba		23-05-2022	Cement & Agg.	52375.00	**do**
8	M/S Pankaj Thakur	MGREGA	Nil/	Sand	69120.00	**do**
	PO Bailli, Chamba		23-05-2022	Aggre.	64500.00	**do**
9	M/S Tanishka Tile Industry	MGREGA	Nil	Interlock Tiles		**do**
	Tehsil Nurpur, Kangra		23-05-2022	60mm14850no	311850.00	**do**
10	M/S Parveen Kumar	MGREGA	Nil/	Stone	24500.00	**Plain Paper**
	PO Bharari, Chamba		23-05-2022			**do**
11	M/S Parveen Kumar	MGREGA	Nil/	Carrige of Sand		**do**
	PO Bharari, Chamba		01-03-2024	Cement, Agg. Etc.	109670.00	**do**
12	M/S Surjeet Singh	MGREGA	NIL	Carrige of Sand		
	PO Balera, Chamba		01-03-2024	Cement, Agg. Etc.	73000.00	**GR**
				Shuttring	30000.00	**Plain Paper**
				TOTAL	**1041115.00**	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

Jiyunta

29

परिशिष्ट "8" पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित

Sr.no/Grant	Work Detail	Sanction	Documents not presented
1.VKVNY	c/o Road completion main road to Tretha	200000	MB, Estimate, Work Order and Technical sanction order, UCC, Form 13C in Format-34, FRA etc.
2. VKVNY	c/o Road Siyunt to Khorthi	400000	
3.VKVNY	C/o Community Hall Baitna	350000	
4.15th FC	C/o Rasta at Kurla	100000	
5.15th FC	C/o Drain Work at ulad	100000	
6.15th FC	C/o Pucca Path Samkdiya Dhudiyara to Mokshdham	100000	
7.15th FC	C/o Toilet at Chillibayi	100000	
8.15th FC	C/o Tank at Bharera	100000	
9.15th FC	C/o Babli at Betna	100000	
10. 15th FC	C/o Community Hall Kurla	100000	
11. MGREGA	C/o Link Road main road Balera to Siyugat Phase-v	500000	
12. MGREGA	C/o Paver work Village Dhurasapar	500000	
13.MGREGA	C/o Protection work at upper panchpulla	500000	
14. MGREGA	C/o Shamshanghat Khoti Khad	300000	
15.MGREGA	C/o Create Work at Samkadi the Dundiyara	300000	
16.MGREGA	C/o Soil Conservation Work Dundiyara	300000	
17.MGREGA	C/o Soil Conservation Work Lahad	300000	
18. MGREGA	C/o Link Road Khil to Khaladu Phase-I	500000	
19. MGREGA	C/o CC work Chaltuni to Ghunidhar phase-1	500000	
20. MGREGA	C/o Pucca Path main road to khurala	300000	
21. MGREGA	C/o Pucca Path Tritha-1 to Tritha-2	300000	
	Total	5950000	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jiyunta
Dev. Block Bhattiyat
Distt. Chamba (H.P.)

30